न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थनापत्र स039 / 14

अजयसिह पुत्र जयसिह जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर
प्रार्थी

बनाम

1–रमनसिह पुत्र बाबू । जातियान ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूपवास
2–करनसिह पुत्र बाबू।
3–घनश्याम पुत्र जगन्नाथ जाति स्वर्णकार
4–अनिल पुत्र खैमचन्द्र जाति ब्राहम्ण
5–लाखनसिह पुत्र सुन्दरलाल जाति दर्जी
6–थानसिह पुत्र सन्दरलालजाति दर्जी
7–मीरादेवी पत्नि बलवीरसिह जाति गोस्वामी
8–सरोज पत्नि बृजेन्द्रसिह जाति स्वर्णकारण
9–सीमा पत्नि करनपुरा जाति स्वर्णकार
10–शशि पत्नि राकेश जाति गुसाई
11–सन्तो पत्नि अजयसिह जाति गूर्जर
12– रजनी पत्नि देवी जाति गोस्वामी
13–बैजन्ती पत्नि जगन जाति गोस्वामी
14–सन्ता पुत्र ग्यासीराम जाति मीरासी
15– जमुना पत्नि हीरा जाति कछवाया
16–कान्ती पत्नि रामप्रसादजाति कछवाया
17–दीपक कुमार पुत्र गिर्राज जाति ठाकुर
18–डौनसिह ।पुत्रान जयसिह जाति ठाकुर निवासी रूदावल नाबालिगान जरिये
19–पुष्पेन्द्रसिह।माता वीना कुमार पत्नि जयसिह जाति ठाकुर निवासी रूदावल
समस्त निवासीयान रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर

20–राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार रूपवास जिला भरपुर

अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1– श्री शंकरदयाल शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण
2– श्री ताराचन्द्र शर्मा अभिभाषक अप्राथी

निर्णय

दिनांक 2-2-18

सक्षेपतः प्रार्थनापत्रे के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगणा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा,212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी

विवादित अराजी खसरा न0 1226 रकवा 2–08 बीघा बाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 81801/1246080 है । प्रार्थनापत्र की मद स0 2 वर्णित मद स0 2 में आराजी प्रार्थी को विरासत में अपने पिता जयसिह से प्राप्त हुई हे । जयसिह की मृत्यू हो गई है। तभी से प्रार्थी विवादित आराजी के 81801/1246080 हिस्से को बहैसियत खातेदार मौके पर काश्त करता चला आ रहा हैं इस समय भी मौके पर प्रार्थी का की कब्ज। काश्त है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब सामिल काश्त करना सम्भव नही रहा है। क्योकि आये दिन आपस में झगड़ा होता है। अतः उक्त आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी स08,17 का राजस्व रिकार्ड में अकंन नहीं हो रहा है । जबकि अप्रार्थी स0 8 को उसका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र आर्थी स0 2से व अप्रार्थी स0 17 को उसका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र बीनाकुमारी पत्नि जयसिह से प्राप्त हुआ है । अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काश्त करते आये दिन झगड़ा करते है व आराजी से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर तुले हुये है। शान्तीपूर्वके काश्त करने नही करने देते है । दिनांक 3.4.14 को मौके पर आ गये तथा विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने लगें। यदि अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गये तो`प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है । अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराना आवश्यक हो गया है।

प्राईमाफैसी केस सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय से पावन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी प्रार्थनापत्र की मद स0 2के कब्जे काश्त प्रार्थी में कोई मदाखलत मजाहमत बेंजा न करें आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त शान्तीपूर्वक करने देवे, रहन वय मुन्तकिल न करें ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्थ्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करते हुये तलब किया । अप्रार्थी स0 5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18, 19,20 बाबजूद इतला के अनुपस्थित अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20,10.14 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गई । दिनांक 18.1.18 को प्रतिवादी स0 11 के खिलाप एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 8 ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्रपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मद स0 1,2,3,4,,5,6 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वे स्वीकार नही है । अपने विषेश विवरण में निवेदन किया है कि उक्त प्रतिवादी स0 17 को गलततौर पर पक्षकार बनाया गया है वादपत्र में मिस जौन्डर का दोष है प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है । आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के खारिज किये जाने योग्य है। वादी की मॉ ने गलत नक्शा बनवाकर प्रतिवादी स0 8 के खरदीशुदा प्लाट का गलत बिक्रय कर दिया है इसके खिलाफ प्रतिवादी स0 8 ने बिधिवत थाना रूदावल में प्रतिवादी स0 17 व वादी की मॉ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे ।

योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के तथ्यो को दोहराते हुये तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजी सयुक्त खाते की आराजी है । वादी का उक्त विवादित आराजी में81801/1246080 भाग पर कब्जा काश्त है। और मौके पर विभाजन भी कर रखा हे । अतः प्राथी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे । अपने समर्थन में न्यायिक सिद्वान्त आर आरडी 2004 पेज 170 व डीएनजे

उपखण्ड अधिकारी